P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-5* January- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

सूचना का अधिकार सुशासन का आधार

Right To Information Is The Basis of Good Governance

Paper Submission: 15/01/2021, Date of Acceptance: 27/01/2021, Date of Publication: 28/01/2021

विकास कुमार शर्मा
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय महाविद्यालय, बूंदी,
राजस्थान, भारत

सारांश

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एवं सूचना का अधिकार अधिनियम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों के हित में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से अधिक पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं सुशासन की मांग करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में सहभागिता करती है। अतः उन्हें यह जानने का पूरा अधिकार है कि, उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनके हित में किन कार्यों, नीतियों एवं योजनाओं का किस प्रकार क्रियान्वयन कर रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि कुछ मामलों में सूचना का अधिकार अधिनियम एवं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत भी खड़े हो जाते हैं। हम इसे एक प्रकार से मंथन की स्थिति कह सकते है, जिसका अंततः अधिक सकारात्मक परिणाम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की मजबूती के रूप में उभरकर सामने आता है। क्योंकि शासन एवं प्रशासन में जितनी अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता होगी उतनी ही अधिक ये संस्थाएं मजबूत होगी। सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 लोक सेवकों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता तथा लोक सेवकों के निर्णयों तक आम आदमी की पहुंच सुनिश्चित करने एवं सुशासन स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में काम कर रहा है। यह सूचना के अधिकार का ही प्रभाव है कि, आज परीक्षाओं की अंकन प्रणाली, बजट संबंधी जानकारी तथा संस्थाओं के वित्तीय खर्च की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी अधिनियम के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बड़े–बड़े भ्रष्टाचार संबंधी मामलों का खुलासा हुआ है। इसी कारण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में पारदर्शिता के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक, उपयोगी, लाभदायक एवं ज्वलंत विषय को मेरे द्वारा इस शोध विषय के रूप में चुना गया है।

Democratic governanc and Right to Information Act are supplements of each other. The Right to Information Act demands more transparency, accountability and good governance from democratic governance systems in the interest of citizens. In a democratic polity, the public participates in governance through their elected representatives. Therefore, they have every right to know how the functions, policies and plans are being implemented by their elected representatives. Many times we have seen that in some cases the Right to Information Act and the principles of democratic governance systems stand opposite to each other. We can call it a kind of brainstorming, who's ultimately more positive result emerges as the strengthening of democratic governance systems because the more transparency and accountability in governance and administration, the more these institutions will become stronger. The Right to Information Act - 2005 is playing an important role in ensuring transparency and accountability in the functioning of public servants and the common man's access to public servants' decisions and establishing good governance. It is the effect of the right to information that today, one can easily get information about the marking system of examinations, and budget related information and financial expenses of institutions. Through this act, various types of major corruption related cases have been revealed. For this reason, the most relevant, useful, profitable and vivid topic for transparency in democratic governance has been chosen by me as this research topic.

मुख्य शब्द : आरटीआई एक्ट, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार, विजय दशमी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चांद गेट, मानवाधिकार, सीडी, फ्लोपी, पांडुलिपि आदि।

RTI Act, Transparency, Accountability, Right to information, Corruption, Vijay Dashami, Freedom of expression, Chand Gate, Human rights, CD, Floppy, Manuscript etc.

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार या सूचना की स्वतंत्रता से तात्पर्य उस वैधानिक अधिकार से हैं, जो किसी देश के व्यक्तियों को सरकारी क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के अवसर प्रदान करती हैं तथा उन सूचनाओं को आमजन के लिए सहज रूप में प्राप्ति का आधार बनाती है। इस अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार होता है कि, **सरकार एवं प्रशासन के क्या कार्य हैं? वे कैसे कार्य करते हैं? उनकी क्या भूमिका होती है**? **आम नागरिक उसमें किस प्रकार एवं क्या सहयोग कर सकते है? सरकार किस प्रकार आमजन को पारदर्शी सुशासन उपलब्ध करवा सकता है?** सूचना के अधिकार के तहत राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए अपने कार्यों एवं शासन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं सार्वजनिक बना देता है। लोकतांत्रिक राष्ट्रों में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को शासन का अवसर प्रदान करती हैं और उससे यह अपेक्षा भी करती है कि, सरकार पूरी निष्ठा, इमानदारी, पारदर्शिता एवं कर्तव्य भावना के साथ अपने दायित्वों का बखूबी पालन करें। एक समय अंतराल में अधिकांश राष्ट्रों ने अपने दायित्वों का उल्लंघन करते हुए सुशासन, पारदर्शिता एवं ईमानदारी का गला घोटने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी तथा बहुत से राजनेताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने यहां भ्रष्टाचार के बड़े–बड़े कीर्तिमानों को अंजाम दिया। इन सभी ने बेईमानी एवं भ्रष्टाचार का हर वह कार्य किया जो जनविरोधी एवं अलोकतांत्रिक हैं। लोकतंत्र में राजनेता एवं प्रशासनिक अधिकारी अपने आप को जनता का स्वामी समझते हैं, जबकि वास्तविकता में वे जनता के मालिक नहीं होकर सेवक है। जनता के सेवक होने के नाते जनता को हर उस राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्रियाकलाप को जानने का अधिकार है, जो उनके लिए किया जा रहा है या किया जाने वाला है।

देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के लिए किसी न किसी प्रकार से विभिन्न करों का भुगतान करता है। यहां तक कि छोटी से छोटी वस्तु माचिस एवं सुई से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तुओं का टैक्स सरकार जनता से वसूल करती है। इस टैक्स के दायरे में राष्ट्र के गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर भिखारी, मजदूर, किसान एवं प्रत्येक वह व्यक्ति आता है, जो किसी ने किसी वस्तु का उपभोग करता है। अतः उसे यह जानने का पूर्ण अधिकार है कि, उसके द्वारा दी गई इस राशि का किस प्रकार एवं किस कार्य में उपयोग किया जा रहा है। सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है।

शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य

1. मेरे इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जवाबदेहिता, पारदर्शिता एवं सूशासन के विकास के लिए सुझाव देना हैं।
2. इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य आमजन में सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी का प्रसार करना हैं।
3. इस शोध पत्र के माध्यम से शासन एवं प्रशासन में कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार एवं अन्यायपूर्ण कार्यों के प्रति डर पैदा करना हैं।

सूचना के अधिकार की पृष्ठभूमि

भारत लगभग 250 वर्षों तक ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन के आधिपत्य में रहा। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासकीय गोपनीयता अधिनियम– 1923 बना रखा था, जिसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार हो गया कि, वह किसी भी सूचना को गोपनीय रख सकती हैं। भारत को अगस्त, 1947 में स्वतंत्रता मिलने पर जब 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ तब भी संविधान निर्माताओं ने सूचना के अधिकार का संविधान में कोई वर्णन नहीं किया। इन्होंने ब्रिटिश काल में बनाए गए शासकीय गोपनीयता अधिनियम– 1923 को यथावत बनाए रखा। आगे आने वाली सभी सरकारों ने इस गोपनीयता अधिनियम की धारा 5 एवं 6 के प्रावधानों का लाभ उठाकर जनता से अपनी सभी प्रकार की राजनीतिक एवं प्रशासनिक सूचनाएं छुपाती रही। भारत में सूचना के अधिकार के प्रति कुछ सजगता एवं जागरूकता उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण वाद–1975 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के तहत आई। इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि, लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा जनता को उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया जाए। इस निर्णय ने नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(ए) के तहत प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाकर इसमें सूचना के अधिकार को शामिल कर दिया। प्रेस या मीडिया द्वारा सूचनाएं एकत्रित करने के अधिकार का स्रोत संविधान का यही अनुच्छेद है। वर्ष 1982 में द्वितीय प्रेस आयोग ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम– 1923 की विवादास्पद धारा 5 को निरस्त करने की सिफारिश की थी, क्योंकि इसमें कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि, किससे क्या गुप्त रखा जाए? एवं ''**शासकीय गुप्त बात**'' क्या है? इसके कुछ वर्षों बाद वर्ष 2006 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित ''**द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग**'' ने भी इस कानून को निरस्त करने की सिफारिश की थी। वर्ष 1989 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने भी संविधान में संशोधन करके शासकीय गोपनीयता अधिनियम में संशोधन करने एवं देश में सूचना का अधिकार कानून लागू करने की घोषणा की थी किंतु, वे इसे लागू करने में सफल नहीं हो सकें। वर्ष 1990 में आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में गठित ''**भारतीय प्रेस परिषद**'' ने भी सूचना के अधिकार

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-5* January- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

को लागू करने का सुझाव दिया था। इसके बाद वर्ष 1997 में केंद्र सरकार ने **एच.डी.सॉरी** की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसने मई, 1997 में सूचना की स्वतंत्रता का संपूर्ण प्रारूप बनाकर सरकार के समक्ष रखा। इस रिपोर्ट में देश की सुरक्षा से संबंधित 11 क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रों से संबंधित सूचना आमजन को उपलब्ध करवाने की सिफारिश की गई। इसी वर्ष पांचवे वेतन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में सूचना के अधिकार को लागू करने की सिफारिश प्रदान की। किंतु, सॉरी कमेटी के इस प्रारूप को संयुक्त मोर्चा की सरकारों ने अपने पास लंबे समय तक रोके रखा। एच.डी.सॉरी समिति की सिफारिशों के आधार पर वाजपेई सरकार ने वर्ष 2000 में ''**सूचना की स्वतंत्रता विधेयक– 2000**'' प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर बाद में वर्ष 2002 में संसद से ''**सूचना की स्वतंत्रता विधेयक**'' (Freedom of information Bill) पारित किया गया। जनवरी, 2003 में इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई लेकिन इसकी संपूर्ण व्यवस्थित नियमावली बनाने के नाम पर इसे पुनः रोक लिया गया। इसमें आमजन को प्रशासन से सूचना मांगने का प्रावधान तो किया गया किंतु प्रशासन के लिए सूचना उपलब्ध करवाना बाध्यकारी नहीं किया गया। जब भारत में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार बनी तो उन्होंने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का संकल्प दोहराया। जिसके तहत 12 मई, 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 संसद से पारित किया गया। इसे 15 जून, 2005 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति की अनुमति भी मिल गई थी। यूपीए सरकार ने 146 संशोधनों के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 पारित किया। जिसकी धारा 4 (1), 5 (1) (2), 12, 13, 15, 16, 24, 27 तथा 28 को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया तथा अन्य प्रावधान 4 महीने बाद लागू किए गए। अंततः एक लंबे प्रशासनिक अनुभवों से गुजर कर 12 अक्टूबर, 2005 को यह 'सूचना का अधिकार कानून' जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण देश में एक साथ लागू कर दिया गया। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, जिसमें 'सूचना' को 'अधिकार' कहा गया है। भारत में जब यह कानून लागू हुआ उस दिन विजयदशमी थी, इसलिए इस दिन को बुराई (भ्रष्टाचार) पर अच्छाई की विजय के रूप में माना गया है। इसके साथ ही सूचना की स्वतंत्रता विधेयक– 2002 को निरस्त भी कर दिया गया।

सूचना का अधिकार एवं राजस्थान

सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान है। सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए राजस्थान में सबसे पहले आंदोलन चांद गेट, ब्यावर (अजमेर) नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। सूचना के अधिकार की प्रणेता श्रीमती अरुणा रॉय ने न केवल राजस्थान अपितु संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करवाने में अग्रणी एवं मुख्य भूमिका अदा कर एक मिसाल कायम की। इन्होंने '**मजदूर किसान शक्ति संघ**' का नेतृत्व कर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने के कार्य की पहल की। राजस्थान में यह अधिनियम पहली बार वर्ष 2000 में लागू किया गया। यह कानून राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए जाने से पहले ही भारत के 9 राज्यों में लागू कर दिया गया था जिनमें प्रमुख हैं– तमिलनाडूं एवं गोवा– 1997, कर्नाटक में– 2000, दिल्ली में– 2001, आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में– 2002 तथा जम्मू–कश्मीर नें– 2004 में इस कानून को अपने यहां लागू कर दिया था।

अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं सूचना का अधिकार

सूचना के अधिकार को मान्यता दिलाने में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के प्रथम अधिवेशन वर्ष 1946 में पारित एक प्रस्ताव संख्या 59(1) में कहा गया था कि,– ''सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक मानवाधिकार हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी पवित्र संस्था जिन उद्देश्यों को लेकर बनी है, उसमें सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की यह भी एक महत्वपूर्ण कसौटी है।'' संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित विश्वव्यापी **मानवाधिकार घोषणा पत्र– 1948** के अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि,– ''**प्रत्येक व्यक्ति को विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है तथा इस अधिकार के अंतर्गत बिना किसी हस्तक्षेप के कोई भी विचार रखने, सूचना मांगने, प्राप्त करने तथा देने का अधिकार सम्मिलित हैं।**'' इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ का उपरोक्त घोषणा पत्र सूचना के अधिकार को सभी के लिए अनिवार्य घोषित करता है। राष्ट्रमंडल देशों के विधि मंत्रियों के बारबडोस सम्मेलन– 1980 तथा राष्ट्रमंडल हरारे सम्मेलन– 1991 में सूचना के अधिकार के पक्ष में प्रस्ताव पारित किए गए। विश्व बैंक द्वारा निर्मित '**पॉलिसी ऑन द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन**' के तहत वर्ष 1994 में सूचना के अधिकार को मान्यता देने के संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसके अतिरिक्त भी यूरोपियन परिषद, अफ्रीकी संघ एवं अमेरिकन स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन आदि के द्वारा भी सूचना के अधिकार को स्थापित करने में निरंतर सहयोग प्रदान किया गया।

सूचना का अधिकार एवं अन्य राष्ट्र

क्र. सं.	देश का नाम	वर्ष	शुल्क	समयावधि
1	स्वीडन	1766	निःशुल्क	तत्काल
2	कनाडा	1982	निःशुल्क	15 दिन
3	फ्रांस	1978	निःशुल्क	1 माह
4	मेक्सिको	2002	निःशुल्क	20 दिन
5	भारत	2005	शुल्क	1 माह (जीवन एवं स्वतंत्रता के मामलों में 48 घण्टे)

सूचना के अधिकार का उद्देश्य

सूचना का अधिकार कानून 2005 लोक सेवकों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेयता लाने, लोक सेवकों के निर्णयों तक आम जनता की पहुंच सुनिश्चित करने एवं सुशासन स्थापित करने का महत्वपूर्ण आधार है। इस कानून के द्वारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों को सूचनाओं से वंचित नहीं रखकर शासन एवं प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेही बनाने हेतु सूचना के अधिकार की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया। सूचना के अधिकार अधिनियम द्वारा संवेदनशील सूचनाओं के प्रतिरक्षण एवं सरकारी तंत्र द्वारा उनके प्रभावी संरक्षण तथा सीमित वित्तीय संसाधनों से अधिकतम सदुपयोग का मार्ग भी प्रशस्त किया गया। इस कानून में 'सूचना' शब्द की व्यापक परिभाषा दी गई है, जिसके तहत निम्न सूचनाएं प्राप्त करने के अधिकार शामिल है–

किसी भी सामग्री का प्रमाणित नमूना प्राप्त करना।

1. सरकारी दस्तावेजों, कार्यों तथा अभिलेखों का निरीक्षण करना।
2. सीडी, फ्लॉपी, वीडियो कैसेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जानकारी प्राप्त करना।
3. प्रिंटआउट के रूप में कंप्यूटर एवं अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में संग्रहित सामग्री को प्राप्त करना।
4. सरकारी दस्तावेज, अभिलेख, नोट्स, उद्धरण तथा अन्य प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना।
5. यहां 'अभिलेख' शब्द से तात्पर्य दस्तावेज, पांडुलिपि, फाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में संग्रहित सूचना डाटा से हो सकता है।

लोक सूचना अधिकारी का वर्णन

1. आरटीआई एक्ट– 2005 की धारा 5 में लोक सूचना अधिकारी के बारे में निर्देश निहित हैं। इसके अनुसार प्रत्येक प्रशासनिक विभाग या कार्यालय इस अधिनियम के लागू होने के 100 दिन के अंदर अपने यहां केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करेगा। जो समय–समय पर जनता द्वारा मांगी गई सूचनाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएगा।
2. उपखंड या जिला स्तर पर केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। जो कि जनता से प्राप्त आवेदनों को यथास्थान शीघ्र अग्रेषित करेगा। यदि इन सहायक लोक सूचना अधिकारियों को सूचना प्राप्ति संबंधित आवेदन दिया जाता है, तो संबंधित उत्तर के लिए अवधि की गणना करते समय 5 दिन का समय और जोड़ दिया जाएगा।
3. किसी भी प्रशासनिक संगठन या कार्यालय में पदस्थ सर्वोच्च अधिकारी के बाद द्वितीय वरिष्ठतम अधिकारी को उस संगठन या संस्था का लोक सूचना अधिकारी माना जाता है।

सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया

1. सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत धारा 6 में लोक प्राधिकारी से सूचना मांगने की विधि का वर्णन किया गया है। इसके तहत सूचना प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति किसी संगठन या विभाग के लोक सूचना अधिकारी को लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन दे सकता है।
2. यह आवेदन पत्र हिंदी, अंग्रेजी या संबंधित राज्य की भाषा में दिया जा सकता है। इस आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क भी नगद, डिमांड ड्राफ्ट या चालान के माध्यम से देना आवश्यक है।
3. यदि कोई व्यक्ति लिखना नहीं जानता है, तो वह लोक सूचना अधिकारी को मौखिक रूप से जानकारी देकर भी अपने आवेदन को लेखबद्ध करा सकता है।
4. प्राप्त आवेदन को संबंधित व्यक्ति या शाखा तक 5 दिन में पहुंचाना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में मांगी गई इस सूचना को देने में 30 दिन (तृतीय पक्ष के मामले में 40 दिन) से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए। यदि यह सूचना किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो, इसके लिए 5 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यदि मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो तो वह सूचना आवेदन देने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।
5. यदि सूचना अधिकारी सूचना देने का निर्णय लेने में विफल रहता है, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि उसने मांगी गई सूचना के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। यदि दी गई सूचना अधूरी, अस्पष्ट या गलत हो तो उसी विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। इस अपीलीय प्रार्थना पत्र में आवेदन की तारीख, सूचना कहां से मांगी गई हैं का विवरण, शुल्क से संबंधित विवरण तथा पूर्व आवेदन की एक छाया प्रति लगाकर अग्रिम अधिकारी को प्रेषित करना आवश्यक है। यहां से संबंधित सूचना 30 दिन के अंदर निःशुल्क रूप से प्राप्त होगी।
6. यदि प्रथम अपील से भी आवश्यक सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो 90 दिन के अंदर द्वितीय अपील दायर की जा सकती है। द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में की जाती हैं। इसके लिए सूचना आयोग में अपील संबंधी प्रारूप का उपयोग करना आवश्यक है। राज्य से संबंधित अपील राज्य सूचना आयोग में तथा केंद्र से संबंधित अपील केंद्रीय सूचना आयोग में करनी आवश्यक हैं। द्वितीय अपील के दौरान सूचना आयोग संबंधित पक्षों को मौखिक या लिखित रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश जारी कर सकता है।
7. सूचना अधिकारी किसी भी आवेदक से सूचना मांगने का कारण नहीं पूछ सकता है। यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कुछ ऐसे गोपनीय विषय हैं, जिनके संबंध में सूचना अधिकारी सूचना देने से मना कर सकता हैं।
8. सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा– 11 के अनुसार यदि किसी तृतीय पक्षकार की सूचना गोपनीय प्रकृति की है, तो लोक सूचना अधिकारी

तृतीय पक्ष को आवेदन प्राप्ति के 5 दिन के भीतर सूचना देने या न देने की घोषणा करेगा।

9. यदि किसी आवेदक की प्रार्थना को लोक सूचना

अधिकारी अस्वीकृत करता है, तो वह आवेदन को अस्वीकृत करने का कारण, अस्वीकृति के विरुद्ध की जाने वाली अपील एवं अपील प्राधिकारी का विवरण उसे आवश्यक रूप से देगा।

सूचना प्राप्ति हेतु निर्धारित शुल्क–

1. सूचना प्राप्ति हेतु आवेदक को आवेदन के साथ 10 रूपये का सामान्य शुल्क जमा कराना पड़ता है, परंतु कुछ राज्यों में यह राशि अलग–अलग निर्धारित की गई है।
2. यदि कोई व्यक्ति मांगी गई सूचना की छाया प्रति लेता है, तो उसे A-3 या A-4 साइज के पेपर की प्रति पेज छाया प्रति के लिए 2 रूपये शुल्क देना होगा।
3. बड़े पेपर, नमूने या मॉडल की प्राप्ति पर वास्तविक लागत का भुगतान करना आवश्यक है।
4. फ्लॉपी या सीडी पर सूचना प्राप्त करने के लिए 50 रूपये प्रति फ्लॉपी या सीडी की दर से शुल्क लिया जाएगा।
5. यदि आप किसी दस्तावेज का निरीक्षण करते हैं, तो उसके लिए 1 घंटे तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके पश्चात निरीक्षण पर प्रति घंटा 5 रूपये का शुल्क लिया जाएगा।
6. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों (बीपीएल) से सूचना के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
7. सूचना प्राप्ति के लिए आवश्यक शुल्क के संबंध में केंद्र सरकार, राजस्थान, महाराष्ट्र, आसाम, झारखंड, मेघालय, त्रिपुरा एवं नागालैंड में एकरूपता है। उड़ीसा में आवेदन शुल्क 20 रूपये, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा में यह आवेदन शुल्क 50 रूपये रखा गया है। आंध्र प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश में सीडी एवं फ्लॉपी में सूचना प्राप्त करने के लिए शुल्क 100 रूपये निर्धारित किया गया है। आंध्र प्रदेश में ग्राम स्तर पर सूचना प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है।

सूचना का अधिकार एवं दंडीय प्रावधान–

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा– 20 में दंड से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जो निम्न प्रकार है– यदि लोक सूचना अधिकारी बिना किसी उपर्युक्त कारण के आवेदन को अस्वीकृत कर देता है या निर्धारित समय सीमा में सूचना नहीं देता है या अस्पष्ट, अधूरी एवं भ्रामक सूचना देता है या सूचना देने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा डालता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदन प्राप्ति या सूचना देने के दिन से 250 रूपये प्रतिदिन का आर्थिक दंड संबंधित अधिकारी पर लगाया जा सकता है। इस आर्थिक दंड की अधिकतम सीमा 25000 रूपये तक हो सकती है। यदि संबंधित अधिकारी को दंड के इस प्रावधान से अपने आपको बचाना है, तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसने सूचना देने के मामले में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है। सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 की धारा 20 की उप धारा 2 के अनुसार ऐसे मामलों में सूचना आयोग दोषी सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्यवाही भी कर सकता है।

सूचना का अधिनियम एवं अधिकार क्षेत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 के तहत केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों को इसके दायरे में रखा गया है। कार्यपालिका के अतिरिक्त विधायिका एवं न्यायपालिका को भी इसके दायरे में रखा गया है। सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रणकारी सभी निकाय, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्त पोषित निकायों, गैर सरकारी संस्थाओं तथा सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायता पाने वाली सभी निजी संस्थाओं को इसके दायरे में रखा गया है। इसके अतिरिक्त रियायती दरों पर या सब्सिडी पर सरकारी भूमि पाने वाले सभी निकाय भी इसके दायरे में शामिल हैं। प्राइवेट स्कूल, अस्पताल एवं सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान भी इसके दायरे में आते हैं अर्थात सूचना का अधिकार अधिनियम अब निजी क्षेत्र पर भी लागू है। इस कानून के अनुसार सभी नागरिक वे सभी सूचनाएं पाने के हकदार हैं, जो स्वयं सरकार को मौजूदा कानूनों के तहत प्राप्त हो सकती हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 का दायरा–

सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 की धारा 8 में यह बताया गया है कि, ऐसी कौनसी सूचनाएं हैं, जिन्हें हम सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसके तहत निम्न सूचनाएं ऐसी हैं, जिन्हें हम गोपनीय रख सकते हैं या उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता हैं–

1. राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा, वैज्ञानिक एवं आर्थिक हित तथा वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएं हम सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर सकते हैं।
2. संसद या विधानमंडलों के विशेषाधिकार हनन से संबंधित सूचनाएं।
3. वैदेशिक सरकारों के विश्वास से प्राप्त गोपनीय सामरिक अंतरराष्ट्रीय सूचनाएं।
4. उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निषिद्ध सूचना तथा न्यायालय की अवमानना से संबंधित सूचनाएं।

5. यदि किसी सूचना से तृतीय पक्ष की वाणिज्यिक, व्यापारिक या बौद्धिक संपदा को किसी प्रकार की हानि पहुंचती है, तो ऐसी सूचनाओं को प्रकट नहीं किया जा सकता है।
6. यदि किसी सूचना से किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता या सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा पहुंचता है, तो ऐसी सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है।
7. ऐसी सूचनाएं जो व्यक्तिगत होती हैं तथा जिनको प्रकट करने से किसी व्यक्ति की निजता का अधिकार बाधित होता है, तो ऐसी सूचनाओं को सार्वजनिक करने से मना किया जा सकता है। किंतु यदि ऐसी सूचनाओं में व्यापक जनहित समाहित हो तो उन सूचनाओं को प्रकट किया जा सकता है।
8. मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंधित ऐसे दस्तावेज जिन पर विचार किया जाना शेष हैं तथा जिनके आधार पर सार्वजनिक कानूनों का निर्माण किया जा सकता है, ऐसी सूचनाओं को प्रकट नहीं किया जा सकता है। साथ ही मंत्री परिषद के ऐसे निर्णय जिन पर विचार किया जा चुका है और उन निर्णयों का अब कोई महत्व नहीं रहा है अर्थात वे निर्णय अब अप्रासंगिक है, तो उससे संबंधित सूचनाएं सार्वजनिक की जा सकती हैं।
9. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 में यह उल्लेख किया गया है कि, ऐसी सूचनाएं जिसे संसद या राज्य विधायिका को देने से मना नहीं किया जा सकता है, वे सूचना किसी भी व्यक्ति को देने से मना नहीं की जा सकती हैं। लोक सूचना अधिकारी को यह शक्तियां प्रदान की गई है कि, यदि उसे सूचना देने में हानि से अधिक महत्वपूर्ण सूचना देने में जनहित लगे तो धारा 8 में दी गई गोपनीयता से ऐसी सूचनाओं को छूट दी जा सकती है।
10. सूचना देते समय यदि किसी घटना, वृतांत या विषय से संबंधित कोई सूचना 20 वर्ष से अधिक पुरानी हो तो, ऐसी सूचनाओं को सार्वजनिक करने संबंधी अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का होगा।
11. आरटीआई एक्ट की धारा 9 के अनुसार किसी व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली सूचनाओं को लोक सूचना अधिकारी देने से मना कर सकता है।
12. आरटीआई एक्ट की धारा 10 के अनुसार सूचना देते समय किसी सूचना या दस्तावेज का आंशिक भाग भी दिया जा सकता है। अर्थात किसी दस्तावेज का गोपनीय भाग छोड़कर बाकी सूचना संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जा सकती है।

अभी वर्तमान में देश के बहुत से ऐसे संगठन, संस्थाएं एवं सार्वजनिक निगम हैं, जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं– सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 24 में उन सभी संगठनों, संस्थाओं एवं विभागों का विवरण दिया गया है, जिनको इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इस अधिनियम की अनुसूची– 2 के अनुसार 22 केंद्रीय संगठन ऐसे हैं, जिन पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं–

1. कैबिनेट सचिवालय की 'रा'।
2. सेंट्रल इकोनामिक इंटेलिजेंस ब्यूरो।
3. डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस।
4. इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी)।
5. सीमा सुरक्षा बल।
6. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।
7. विशेष सीमांत बल।
8. सशस्त्र सीमा बल।
9. भारत–तिब्बत सीमा पुलिस।
10. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल।
11. असम राइफल्स।
12. स्पेशल प्रोटक्शन ग्रुप।
13. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड।
14. डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट।
15. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो।
16. वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र।
17. विशेष शाखा– लक्ष्यदीप पुलिस।
18. विशेष शाखा (सीआईडी) अंडमान एवं निकोबार दीप समूह।
19. अपराध शाखा– सीआईडी सीबी– दादरा एवं नगर हवेली।
20. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन।
21. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया।
22. सीमा सड़क विकास बोर्ड।

इन सभी संगठनों एवं विभागों से राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सुरक्षा संबंधित किसी भी प्रकार की गोपनीय सूचना आमजन को नहीं दी जा सकती हैं लेकिन इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार हनन से संबंधित सूचनाएं इन सभी विभागों से भी मांगी जा सकती है। भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार हनन से संबंधित सूचनाएं इन सभी विभागों को केंद्रीय सूचना आयोग को 45 दिनों के अंदर उपलब्ध करवानी आवश्यक हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि, यदि राज्य सरकारें चाहे तो वे भी अपने प्रांतों में ऐसे संवेदनशील संगठनों की सूची तैयार कर सकती हैं, जिनमें सामान्यतया सूचना देना आवश्यक नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 के अध्याय 3 की धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की अनुशंसा के आधार पर की जाती हैं। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं एवं इसमें दो अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से एक सदस्य लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा दूसरा सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई भी एक कैबिनेट मंत्री हो सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों के चयन का आधार निम्न प्रकार है–

1. मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि वे सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त ऐसे व्यक्ति हो

जिन्हें विधि, विज्ञान, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त हो।

2. इस कानून के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करते समय वे संसद या विधायिका के सदस्य अथवा किसी अन्य लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो।
3. इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि, केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

इनकी सेवा शर्तें एवं पदावधि–

1. मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होगा।
2. सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है, किंतु उनके दोनों पदों के कार्यकाल की कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
3. मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य आयुक्त राष्ट्रपति के समक्ष पद ग्रहण करने की शपथ लेते हैं तथा वे राष्ट्रपति को संबोधित करके ही अपना त्यागपत्र दे सकते हैं।
4. मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों के वेतन भत्ते तथा अन्य परिलाभ उसी प्रकार देय होंगे, जिस प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों को दिया जाता है।
5. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों को उनके पद से तभी हटाया जा सकता है, जब उच्चतम न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध लगाए गए कदाचार एवं अक्षमता के आरोप को प्रमाणित कर दिया गया हो। इस आधार पर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति की सम्मति में उनको निम्न कारणों से हटाया जा सकता है–

A. यदि वे नैतिक अक्षमता के दोषी पाए गए हो।

B. यदि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य वैतनिक पद पर कार्य किया हो।

C. यदि वे मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हो।

D. यदि वे दिवालिया घोषित कर दिए गए हो।

वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव के अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य कार्यरत हैं, इस प्रकार केंद्रीय सूचना आयोग में वर्तमान में 7 सदस्य कार्यरत हैं।

सूचना के अधिकार को सशक्त बनाने हेतु सुझाव–

1. भारत बहुत विशाल जनसंख्या वाला विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अभी भी इसके लाखों लोगों को सूचना के अधिकार अधिनियम संबंधित आवश्यक जानकारियां नहीं है। अतः जनसाधारण को अपने सूचना संबंधी अधिकारों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है।
2. इस कानून संबंधी आवश्यक जानकारियां हमें यथाशीघ्र आम लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए ताकि सभी नागरिक अपने हित में इस कानून का सार्थक उपयोग कर सकें।
3. भारत में अभी भी निजी क्षेत्रों से संबंधित जानकारियां आम लोगों तक आसानी से सुलभ नहीं है। इसके लिए हमें निजी क्षेत्रों को भी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन सूचना के अधिकार की परिधि में लाने का प्रयास करना होगा।
4. सूचना के अधिकार को व्यापक रूप देने वाले शासकीय निकायों, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग आदि में उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए, जिनकी योग्यता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, चारित्रिक मूल्य एवं प्रतिष्ठा जनसाधारण में सुविख्यात हो। अर्थात वे उच्च चरित्रवान एवं ईमानदार पृष्ठभूमि से संबंधित हो।
5. जो व्यक्ति प्रशासनिक तंत्र में उच्च पदों पर बैठे हैं, उन अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेही बनाना होगा।
6. अभी भी बहुत से सरकारी कार्यालयों में अधिकारी लोगों की जानकारी के अभाव में उनसे गंभीर तथ्य छुपा लेते हैं तथा उन्हें समय पर आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाते हैं। ऐसे अधिकारियों को कठोरता से जवाबदेही बनाना होगा साथ ही अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही को अंजाम देना होगा।
7. वर्तमान में सोशल मीडिया आमजन के लिए सूचना का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। इसकी कुछ कमियों के कारण सरकारों ने इस पर प्रतिबंध लगाना प्रारंभ कर दिया है। जबकि होना यह चाहिए कि आमजन तक सोशल मीडिया की पहुंच को सरकारों द्वारा बढ़ाया जाए।
8. अभी हाल ही में आमजन की अभिव्यक्ति का समर्थन करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने अपने भाषण में कहा कि,– ''**मेरी बात ध्यान से सुनो और अगर आप उससे असहमत हो तो यह समझना, यही लोकतंत्र है।**''

आरटीआई एक्ट के समक्ष प्रमुख चुनौतियां–

सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता लाना, शासन एवं प्रशासन को आम जनता के प्रति जवाबदेही बनाना, जन सामान्य को अपने अधिकारों के प्रति सशक्त बनाकर उन्हें व्यवस्था से जोड़ना तथा देश में चहूं ओर व्याप्त भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्या पर रोक लगाना है। इसके बावजूद भी आरटीआई एक्ट के समक्ष बहुत सी गंभीर चुनौतियां व्याप्त है, जिसका दुष्परिणाम हमें प्रशासनिक कार्यों में अनेकों बार देखने को मिलता है। जैसे–

1. एक व्यापक सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि, इस सर्वेक्षण में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों में से मात्र 15% लोग ही ऐसे थे, जिन्हें आरटीआई एक्ट अधिनियम के बारे में जानकारी थी। इस सर्वे में यह बात प्रकट हुई कि अधिकतर लोगों को इस अधिनियम के बारे में या तो किसी अन्य व्यक्ति से या मीडिया के माध्यम से सामान्य जानकारी प्राप्त हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी भी जनसामान्य के

एक बहुत बड़े तबके तक आरटीआई एक्ट संबंधी सामान्य जानकारियां उपलब्ध नहीं है।

2. आरटीआई एक्ट के माध्यम से सूचना प्राप्त करने वाले लगभग 75 प्रतिशत नागरिक इन सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि आरटीआई एक्ट के माध्यम से प्राप्त अधिकांश सूचनाएं अधूरी, अस्पष्ट एवं अप्रासंगिक है।
3. आरटीआई एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि, किसी भी सामान्य परिस्थिति में सूचनाओं को 30 दिनों के भीतर उपलब्ध करवाना आवश्यक है, परंतु उपरोक्त सर्वेक्षण में यह प्रकट हुआ है कि सूचना प्रदान करने के अव्यवस्थित तरीके एवं कुप्रबंधन के कारण 50 प्रतिशत से अधिक याचिकाकर्ताओं को इस अवधि में सूचनाएं ही उपलब्ध नहीं हो पाती है।
4. भारत में नौकरशाही शासन में आवश्यक अभिलेखों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने की व्यवस्था बहुत खराब है। इस कारण भी कई बार याचिकाकर्ताओं को आवश्यक सूचनाएं समय पर नहीं मिल पाती है तथा जो सूचनाएं मिलती है वह भी अधूरी एवं अपर्याप्त होती है।
5. भारत में चाहे राज्य सूचना आयोग हो या केंद्रीय सूचना आयोग हो इनको चलाने के लिए पर्याप्त आवश्यक संसाधनों एवं कार्यालय स्टाफ का अभाव पाया जाता है। उदाहरण के लिए केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित कुल 11 सदस्य होते हैं किंतु, वर्तमान में मात्र 7 सदस्य ही कार्यरत हैं। इस कारण भी आमजन तक समय पर सूचनाएं उपलब्ध करवाना संभव नहीं हो पाता है।
6. सूचना के अधिकार अधिनियम के पूरक कानूनों का कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन नहीं होना भी इसके कार्यों में प्रमुख बाधा मानी जा सकती है। जैसे– "**व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम**" का कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन नहीं होना।
7. सैद्धांतिक तौर पर तो सूचना का अधिकार एवं निजता का अधिकार एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, किंतु यदि इन दोनों के अलग–अलग दायरे की बात की जाए तो ये एक–दूसरे के विरोधी भी हैं। जहां एक और आरटीआई एक्ट सूचनाओं तक आमजन की पहुंच बढ़ाता है, वही निजता का अधिकार सूचनाओं की गोपनीयता पर अधिक बल देता है।
8. किसी भी सरकारी कार्यालय में संबंधित सूचना प्रदाता अधिकारियों का बीच में स्थानांतरण हो जाना भी एक आम व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने में बाधा का काम करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के संभावित दुष्परिणाम–

1. वर्तमान में सूचना क्रांति ने जहां आम लोगों को नए प्रकार का हथियार दिया है, वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समक्ष भी गंभीर खतरे पैदा कर दिए हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में कोई भी पोस्ट बिजली की रफ्तार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। इस सोशल मीडिया ने साधारण जनता को मजबूत ताकत प्रदान की है तथा सूचनाओं तक सबकी पहुंच को सरल बनाया है। इसमें सबसे ज्यादा चुनौती सरकारों को मिलने लगी है, वह भी उन सरकारों को जिनके व्यवहार में लोकतांत्रिक मूल्य दिखाई नहीं देते हैं या उनका ह्रास हो गया है।
2. अब आम आदमी के हाथों में सूचनाओं का यह सशक्त तकनीकी माध्यम आ गया है। लेकिन यह तकनीकी माध्यम कब बेलगाम हो जाए और कब इसके गंभीर दुष्परिणाम न केवल व्यक्ति, समाज, अपितु राष्ट्र को भी भुगतना पड़ जाए कहना मुश्किल है। सोशल मीडिया के इसी दुष्परिणाम के आधार पर अब सरकारों को भी इन्हें नियंत्रित करने का एक बहाना सा मिल गया है।
3. अभी हाल ही में बिहार सरकार ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध की गई सोशल मीडिया पोस्ट को साइबर अपराध के दायरे में रख दिया है। सोशल मीडिया पर की जाने वाली ऐसी आपत्तिजनक पोस्टों के आधार पर उनके विरुद्ध मानहानि के मुकदमे की कार्यवाही की जा सकेगी। किसी भी सरकार के द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही करना एक प्रकार से व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के समान है।
4. वर्तमान में सरकारों को सबसे ज्यादा डर सोशल मीडिया से हैं क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से कब खबर करोड़ों लोगो तक पहुंच जाती है, इसका पता भी नहीं चलता। यह सोशल मीडिया मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए लाभकारी हो सकता है। किंतु इसके माध्यम से की जाने वाली झूठी खबरों से समाज एवं राष्ट्र को गंभीर नुकसान भी हो सकता है।
5. आज सूचना के अधिकार की आड़ में **पीत पत्रकारिता** तथा **ब्लैकमेलिंग** जैसी प्रवृत्तियां बहुत बढ़ गई है।
6. प्रशासन या संगठन में कार्यरत कार्मिकों के मध्य आपसी मनमुटाव के चलते इस अधिकार की आड़ लेकर परस्पर शत्रुता निकालने की प्रवृत्ति अब बहुत बढ़ गई है।
7. वर्तमान में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सूचना के अधिकार के डर से किसी भी प्रकार का कार्य करने, निर्णय लेने एवं अपने उत्तरदायित्व को एक दूसरे पर टालने का प्रयास करता है और यह प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है।
8. सूचना के अधिकार अधिनियम के कारण कार्यालयों एवं प्रशासनिक तंत्रों का कार्यभार बहुत बढ़ गया है। इसके कारण कार्यालय के दूसरे कार्य प्रभावित होने लगे हैं।
9. सूचना के अधिकार अधिनियम के कारण शातिर व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर व्यक्तिगत रंजिशे निकाल सकते हैं।
10. सूचना के अधिकार अधिनियम के कारण कार्यालयों में स्थगन आदेश लेने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है तथा यह आगे भी बढ़ सकती हैं।

हमने यहां सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में जितने भी दुष्परिणामों की बात की है वह स्थाई नहीं है। प्रशासन एवं आमजन मिलकर इनका उचित

समाधान कर सकता है। जब जनता कमजोर हो तथा नौकरशाही में लालफीताशाही की प्रवृत्ति बढ़ती जाए, तो इसके दुष्परिणामों को रोकने के लिए जागरूक लोगों को आगे आना होगा।

सूचना के अधिकार को सशक्त बनाने का सरकारी प्रयास–

1. केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देश पर विभिन्न विभागों में कार्यरत सहायक कर्मचारियों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सूची संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जारी करवाया जाना।
2. देश के कुछ राज्यों में आरटीआई कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं और बहुत से राज्यों में यह कार्य जारी है। इन कॉल सेंटर में आरटीआई आवेदन जमा किया जा सकता है और आवेदन शुल्क फोन से जुड़ सकता है। इस तरह से आमजन को सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करने में आसानी होगी।
3. देश के कई राज्यों द्वारा आरटीआई पोर्टल स्थापित किए गए हैं। जिसके माध्यम से आरटीआई याचिका दायर की जा सकती हैं। यह पोर्टल संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों से सीधे जुड़ा हुआ है।
4. कुछ विभागों एवं मंत्रालयों में ऑनलाइन आरटीआई याचिका दायर करने की सुविधा प्रदान की गई है और आवेदन शुल्क जमा करने का भी आसान तरीका बनाया गया है।
5. कुछ राज्यों में ई–डिस्ट्रिक्ट कियोस्क स्थापित किये गये है, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी की तरह कार्य करते हैं। यहां भी आरटीआई संबंधित ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
6. आरटीआई एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी 11वीं पंचवर्षीय योजना में अनेकों नवीन नीतियां लागू की है, ताकि सूचना का अधिकार और सशक्त बन सकें।
7. सूचना के अधिकार को और अधिक सशक्त बनाने के लिए यूएनडीपी एवं डीओपीटी ने सम्मिलित रूप से ''**क्षमता निर्माण**'' कार्यक्रम का निर्माण किया। इस योजना के अंतर्गत केंद्र, राज्य एवं जिला स्तरीय सरकारी कर्मचारियों में सूचना के अधिकार को लेकर क्षमता बढ़ाने एवं सामंजस्य बनाने का कार्य किया गया।
8. सूचना के अधिकार को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कई राज्यों में नवीनीकृत पहल की गई। जैसे– बिहार में आरटीआई एक्ट की जानकारी के लिए '**कॉल सेंटर**' स्थापित किए गए, इसी प्रकार बेंगलुरु में आरटीआई एक्ट के संबंध में जानकारी के लिए '**हेल्पलाइन**' शुरू की गई। महाराष्ट्र में आरटीआई एक्ट संबंधी जानकारी के लिए पांच स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए, जिनमें प्रमुख हैं– मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर आदि। आसाम में सरकार द्वारा नागरिकों, संगठनों एवं एनजीओ को ''**प्रशिक्षण लो और प्रशिक्षित करो**'' कार्यक्रम के तहत आम लोगों को सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। केरल राज्य सूचना आयोग द्वारा जिलों में निरंतर सार्वजनिक जनसुनवाई शिविरों का आयोजन किया जाता है।
9. केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत एवं द्वितीय अपील दायर करने की सुविधा अब आम जन को उपलब्ध करवा दी गई है।
10. सूचना के अधिकार को और सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 'Action research village: A Right to information campaign' विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। जिसके तहत 'Poorest area civil society program' (PACSP) नामक कार्यक्रम चलाया गया। जिसका विस्तार 6 राज्यों के 108 निर्धनतम जिलों के गरीब लोगों तक किया गया। सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता का यह कार्यक्रम विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चलाया गया है। इसके अंतर्गत आमजन को सूचना के अधिकार का उपयोग करना सिखाया गया, उसके फायदे बताए गए एवं सरकारी कर्मचारियों को जागरूकता संबंधी उपाय बताए गए। इस अभियान के तहत कुल 1500 आवेदन दायर किए गए, उनके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई। इस जनजारुकता अभियान के कारण शिक्षा विभाग, स्कूल, स्कॉलरशिप, मिड डे मील आदि से संबंधित सूचना मांगी जाने पर शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार में 90 प्रतिशत तक कमी आई। सार्वजनिक निर्माण विभाग में 65 प्रतिशत तक, अस्पतालों में दवा वितरण के संबंध में 85 प्रतिशत तक एवं राजस्व विभाग में 75 प्रतिशत तक भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आई।

सूचना के अधिकार की प्रमुख उपलब्धियां –

सूचना के अधिकार अधिनियम ने अक्टूबर, 2020 में अपने पंद्रह वर्ष पूर्ण किये। यह पिछला डेढ़ दशक निम्नांकित रूपों में शासन–प्रशासन व आम जनता के हितों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है–

1. सूचना के अधिकार अधिनियम ने मंत्रियों की विदेश यात्राओं एवं उन पर होने वाले अनावश्यक व्यय को सार्वजनिक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे उन पर व्यर्थ में विदेश यात्राएं नहीं करने का दबाव बढ़ा है।
2. आज हम मंत्रियों, नौकरशाहों और न्यायाधीशों की परिसंपत्तियों से संबंधित सूचना आरटीआई एक्ट के जरिये आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रभाव के चलते अब नौकरशाहों द्वारा अपनी परिसंपत्तियों एवं अन्य लाभों को सार्वजनिक रूप से अपनी वेबसाइट पर दिखाया जाने लगा है।
3. यह आरटीआई एक्ट का ही परिणाम है कि, आज हम विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं एवं वार्षिक परीक्षाओं के अंकन संबंधी जानकारियां आसानी प्राप्त कर सकते हैं। इसी एक्ट के प्रभाव के कारण आज यूपीएससी एवं अन्य राज्यों की पीएससी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के अंक सार्वजनिक करने प्रारंभ कर दिये है।

4. आरटीआई एक्ट के कारण ही अब केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देशों एवं आरटीआई आवेदनों के चलते केंद्र सरकार ने वर्ष 2012 से फाइल नोटिंग करना प्रारंभ कर दिया है। इस एक्ट से ही नौकरशाहों पर यह दबाव पड़ा है कि, वे फाइलों पर अपनी टिप्पणियां उचित एवं साफ तरीके से लिखें।
5. सूचना के अधिकार ने ही कई बड़े घोटालों को उजागर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें प्रमुख है– आदर्श आवासीय घोटाला, 2जी स्पैक्ट्रम घोटाला, जिसके कारण भारत सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, जिसमें दलित समुदाय के कल्याण के लिए रखे गए 744 करोड रुपए के फंड का घोटाला हुआ एवं कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला प्रमुख है।

निष्कर्ष–

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में बहुत पहले से यह मांग उठ रही थी कि, इन सरकारों के माध्यम से जो भी कार्य किए जाएं उनका आमजन को पता होना चाहिए। क्योंकि इन शासन प्रणालियों को नाम ही '**जनतंत्र**' दिया गया है। इसलिए सरकार की हर प्रकार की नीतियों, योजनाओं एवं कार्यों की जानकारी जनता को अवश्य होनी चाहिए। इसीलिए बहुत लंबे प्रयासों के बाद सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में लागू किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में काफी हद तक सफल भी हुआ है। अभी भी संसाधनों के अभाव, सूचना तंत्र की विफलता, अधिकारियों की नीरसता, उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार की भावना, सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी एवं जटिल होना, आमजन को इस एक्ट की जानकारी का अभाव, आवश्यक दस्तावेजों का खराब रख–रखाव, लोक सूचना अधिकारियों का स्थानांतरण आदि अनेक विषय है, जिनके कारण सूचना का अधिकार अधिनियम काफी हद तक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल भी रहा है। यह हम सभी के लिए बहुत आवश्यक एवं जरूरी है कि, सभी नागरिक, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन तथा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें आपस में सामंजस्य के साथ मिलकर आरटीआई एक्ट को और अधिक मजबूत करने के लिए एकजुट प्रयास करें। अतः आरटीआई एक्ट को पूर्णतः सफल बनाने के लिए प्रशासन के साथ आमजन का सहयोग बहुत आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *फड़िया, बी.एल., लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2013*
2. *जैसवाल, श्रीचंद, मीडिया (केंद्रीय हिंदी संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका), प्रकाशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली, प्रवेशांक, अप्रैल–जून, 2006*
3. *भसीन, अनीश, 'जानिए मानवाधिकारों को', प्रभात प्रकाशन, 2011*
4. *सिंह, जेपी, 'समाजशास्त्र' अवधारणा एवं सिद्धांत' पीएचआई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, 2013*
5- *सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक– 2019, http://societykarma-in/why&rti&amendment&bill&controversial*
6. *चौबीसा, आर.के., सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005, प्रथम एवं द्वितीय अपील, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर*
7. *चौबीसा, आर.के., सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005, लोक सूचना अधिकारी के कार्य एवं जिम्मेदारियां, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर*
8. *सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, जुलाई, 2010*
9. *प्रतियोगिता दर्पण, अक्टूबर, 2018*
10. *राजस्थान पत्रिका, 23 जनवरी, 2021*
11. *Google search*